

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2020-21/

दिनांक-

:: आदेश ::

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	अनिल शर्मा, राउमावि अजमेर	गणित	24.08.1960	31.08.2020
2.	खेम चन्द यादव, तिजारा (अलवर)	गणित	03.02.1961	28.02.2021
3.	मुरारी लाल शर्मा, झोटवाड़ा (जयपुर)	गणित	10.07.1960	31.07.2020
4.	राधेश्याम शर्मा, नवाई (टोंक)	गणित	20.11.1960	30.11.2020
5.	राजेन्द्र कुमार गुप्ता, खटूम्वर (अलवर)	गणित	19.01.1961	31.01.2021
6.	रामेश्वर दयाल गर्ग, लोहरा (करोली)	गणित	10.03.1961	31.03.2021
7.	श्री गोपाल, सोजत (पाली)	गणित	04.04.1960	30.04.2020
8.	उषा किरण नलवाया, गिर्वा (उदयपुर)	गणित	07.02.1961	28.02.2021
9.	मुरारी लाल शर्मा, राउमावि धौलपुर	गणित	15.12.1960	31.12.2020
10.	अब्दुल लतीफ, रायपुर (भीलवाड़ा)	भौतिक विज्ञान	08.11.1960	30.11.2020
11.	गिरीराज सिंह, चाकसू (जयपुर)	भौतिक विज्ञान	14.02.1961	28.02.2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(सौरभ स्वामी)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2020-21/291 दिनांक- 04.03.2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) सभाग मुख्यालय
3. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि संबधित कार्मिक से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, वष दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।
5. संबधित कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2020-21/

दिनांक-

:: आदेश ::

निम्नांकित कार्मिक जो कनिष्ठ कृषि अध्यापक के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	भंवर दान चारण, जैतारण (पाली)	कृषि	01.08.1960	31.07.2020
2.	कृष्ण पाल सिंह, बानसूर (अलवर)	कृषि	01.03.1961	28.02.2021
3.	ललितादित्य सिंह चौहान, जयपुर पश्चिम (जयपुर)	कृषि	14.09.1960	30.09.2020
4.	राजेन्द्र कुमार भारद्वाज, बाली (पाली)	कृषि	05.10.1960	31.10.2020
5.	सुखदेव सिंह, मुण्डावर (नागौर)	कृषि	20.08.1960	31.08.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2020-21/298

दिनांक- 04.03.2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) संभाग मुख्यालय
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।
5. संबंधित कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर